उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग -2

संख्या-क0नि0-2-1531/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0जी.एस.टी. नियम-2017-आदेश-(62) -2017

लखनऊ::दिनांक: 23 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (षष्टम संशोधन) नियमावली, 2017 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह दिनांक 29 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी ।
नियम 24 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 24 में, उपनियम (4) में,-- अंक, अक्षर और शब्द " 30 सितम्बर" के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द "31 अक्टूबर रख दिये जायेंगे;
नियम 118 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम 118 में, शब्द "नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि" के स्थान पर शब्द "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी अग्रतर अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" रख दिये जायेंगे;
नियम 119 का संशोधन	4.	उक्त नियमावली में, नियम 119 में, शब्द "नियत दिन के नब्बे दिन" के स्थान पर शब्द "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी अग्रतर अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" रख दिये जायेंगे ;
नियम 120 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में, नियम 120 में, शब्द "नियत दिन के नब्बे दिन" के स्थान पर शब्द "नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी अग्रतर अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए" रख दिये जाएंगे;
नियम 120क का संशोधन	6.	उक्त नियमावली में, नियम 120क में, पार्श्व में शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा का पुनरीक्षण" बढ़ा दिये जायेंगे;

24 Oct. 2017 17:55 P 004 FAX NO. :0522 2239076 FROM :

प्ररूप जीएसटी आरईजी-29 का संशोधन

7. उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-29 में,-

(क) शीर्षक " अनंतिम रजिस्ट्रीकरणके रद्दकरण के लिए आवेदन" के स्थान पर शीर्षक "प्रवासी करदाताओं के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन" रख दिया जायेगा;

(ख) उपशीर्षक भाग-क के अधीन मद (i) के समक्ष शब्द और अक्षर "अनंतिम आई डी" के स्थान पर अक्षर "जीएसटीआईएन" अक्षर रख दिये जाएंगे ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

अपर मुख्य सचिव

24 Oct. 2017 17:55 P 005 FAX NO. :0522 2239076 FROM :